# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 173/2016/बीकानेर**

मैसर्स तानाराम श्रवण कुमार, बीकानेर ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत ए, बीकानेर .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**
**श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री ओ.पी.दौसाया, अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

**दिनांक : 17/07/2018**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 131/आरवेट/बीकानेर/2014–15 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ए, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 के जरिये अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रूपये 2800/– की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011–12 का वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए की पावती (Acknowaedgement) उक्त वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के 15 दिवस के भीतर पेश नहीं कर 56 दिन देरी से दिनांक 22.07.2013 को पेश की थी, जिसके लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 19ए के तहत रूपये 50/– प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क रूपये 2800/– प्रभारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा इसकी अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.06.2015 द्वारा लेट फीस की पुष्टि करते हुए अपील अस्वीकार की गई है। उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 83 के अन्तर्गत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलंब शुल्क आरोपित करने से पूर्व किसी भी प्रकार का विशिष्ट नोटिस एवं सुनवाई का अवसर

निरन्तर.....2

प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने धारा 21 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि फाईलिंग ऑफ रिटर्न मूल रूप से इलेक्ट्रोनिकली पेश करने को ही रिटर्न प्रस्तुति माना गया है एवं आरवैट नियम 19 एवं 19ए में भी विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट पर इलेक्ट्रोनिकली रिटर्न पेश करने को ही रिटर्न प्रस्तुत किया जाना माना है। उनका यह भी कथन है कि नियम 19(2) के अनुसार विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट पर इलेक्ट्रोनिकली रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात पावती विभाग में रिटर्न पेश करने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करनी आवश्यक है, जबकि नियम 19ए में यह प्रावधान है कि रिटर्न लेट प्रस्तुत होने की दशा में नियम 19ए के तहत लेट फीस आरोपित की जा सकती है। रिटर्न समय पूर्व प्रस्तुत करने के पश्चात पावती (Acknowaedgement) लेट पेश करने का जिक्र नियम 19ए में कहीं भी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वार्षिक रिटर्न वैट–10ए निर्दिष्ट समयावधि में विभाग में ऑनलाईन प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन भूलवश वार्षिक रिटर्न वैट–10ए की पावती विभाग में प्रस्तुत करने में देरी हो गई। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी को विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण की अधिकारिता नहीं होना भी जाहिर किया। अपने इन कथनों के प्रकाश में अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य विवादित नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय वैबसाइट पर रिटर्न वैट 10ए तो समयावधि में Electronically submit कर दिया गया था परन्तु उक्त रिटर्न Digitally Signed नहीं होने के कारण इसका Acknowledgement जो कि 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना था, वह 56 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस विलम्ब के लिय रूपये 50/– प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 2800/– का विलम्ब शुल्क प्रभारित किया है।

7. वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु प्रचलन में रहे नियम 19(2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी को अपना रिटर्न विभाग की वैबसाइट के जरिये इलेक्ट्रोनिकली सबमिट की जानी थी। यद्यपि उक्त रिटर्न डिजिटली हस्ताक्षरित की जानी थी, परन्तु ऐसा नहीं होने की दशा में इलेक्ट्रोनिकली प्रस्तुत की गई ऐसी रिटर्न का Acknowledgement उक्त रिटर्न प्रस्तुति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान थे। सुलभ संदर्भ हेतु इस अवधि हेतु प्रचलन में रहा नियम 19(2) निम्नानुसार था :–

निरन्तर.....3

*"(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, [1][within fifteen days of the last date of filing of such return(s)], **failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s)**"*

*[1] this was amended on 01.04.2013 and substituted as under:"[within fifteen days of the last date of filing of such return(s) and in case the return(s) is filed after the last date of filing of return(s), within fifteen days of the filing of such late return(s)]"*

8. इसी प्रकार वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु प्रचलन में रहे नियम 19ए के अनुसार रिटर्न प्रस्तुति में विलम्ब की दशा में मासिक करदाता के मामले में प्रथम 15 दिवस के लिये रूपये 100/– प्रतिदिन विलम्ब शुल्क का प्रावधान है तथा 15 दिवस के पश्चात रूपये 500/– प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 50,000/– अथवा निर्धारित कर के 30 प्रतिशत हो (दोनों में से भी कम हो), के बराबर विलम्ब शुल्क भुगतान के प्रावधान हैं। सुलभ संदर्भ हेतु आलोच्य अवधि में प्रचलन में रहा उक्त नियम निम्नानुसार पुनरूल्लिखित है :–

***"19A Late fee.-** Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of-*

*(i) rupees one hundred per day for a period of first fifteen days and rupees five hundred per day thereafter, subject to a maximum of rupees fifty thousand or thirty percent of the tax assessed whichever is lower, in case he is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and*

*(ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."*

9. उपर्युक्त वर्णित नियमों का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखने पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा रिटर्न का Acknowledgement कार्यालय में 56 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है अतः नियम 19(2) की पालना नहीं होने के कारण अपीलार्थी का नियम *19A(ii)* में यथा उल्लेखित विलम्ब शुल्क भुगतान का दायित्व बनता है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो लेट फीस आरोपित की गई है वह पूर्णतः विधिसम्मत है अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

निरन्तर.....4

10. जहां तक अपीलार्थी की इस कथन का प्रश्न है कि कर निर्धारण अधिकारी को लेट फीस निर्धारण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है तथा कि बिना नोटिस दिये लेट फीस का आरोपण नहीं किया जा सकता है, के संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की माननीय वृहदपीठ द्वारा अपील संख्या 1063/2015/टोंक निर्णय दिनांक 07.03.2018 में यह निर्णीत किया गया है कि व्यवहारी द्वारा स्वमेव लेट फीस जमा नहीं कराये जाने की दशा में कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी का कर निर्धारण सम्पूरित करते समय लेट फीस की गणना एवं आरोपण करने में सक्षम है तथा कोई 'फीस' पैनल्टी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इस संबंध में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त निर्णय के संदर्भित अंश निम्नानुसार हैं :–

> *"For assessment year 2011-12 onwards the late fee is payable for late filing of returns only and in case the late fee has not been deposited by the dealers the assessing authority while finalizing the assessment, are competent to calculate and levy the late fee. As the 'fee' is not in the category of penalty therefore, no notice is required to be issued prior to levy of late fee."*

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।

17.7.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य